

अध्याय-IX
निष्कर्ष

अध्याय - IX

निष्कर्ष

यद्यपि राज्य सरकार ने लाभार्थियों के बचत डाक/बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतरण की दिशा में आदर्श बदलाव किया, परन्तु फिर भी पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित नहीं किया गया। विभाग के पास क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को वेब आधारित बनाया है; तथापि लाभ की सुपूर्दगी कुशल एवं प्रभावी नहीं थी, जैसाकि नीचे सारांशित किया गया है:

कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन

2017-21 के दौरान कल्याण योजनाओं हेतु सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों पर पर्याप्त व्यय होने के बावजूद पात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर रखा जाना पाया गया। सक्रिय आवधिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय कार्यालयों से सांख्यिकीय प्राप्त कर पात्र जनसंख्या का श्रेणी-वार अथवा आयु-वार डेटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया। पेंशन हेतु आवेदन करना पूर्ण रूप से लाभार्थियों या ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों पर निर्भर था। बिना आय मानदण्ड के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष करने के अनुरूप ही पेंशनभोगियों के लक्ष्य में बढ़ौतरी की गई। हालांकि 2017-21 के दौरान निधियों की उपलब्धता के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। पेंशन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु निर्दिष्ट समय-सारणी के अभाव में बड़ी संख्या में मामले प्रतीक्षा-सूची में बने रहे तथा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पेंशन स्वीकृति में असामान्य समय लिया गया। पेंशन मामलों पर अंतिम निर्णय लेने में कोई समयसीमा निर्धारित न होने के कारण आवेदन प्रतीक्षा-सूची में दो से अधिक वर्षों तक बने रहे।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यान्वयन की तुलना

विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं बजट भाषण में की गई उद्घोषणाओं के बावजूद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन नहीं किया। क्लाउंट-सर्वर आधारित ई-कल्याण को डीबीटी ढांचे के अनुरूप पुनः इंजीनियर नहीं करने से डीबीटी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। संवितरण प्रक्रिया ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी एवं उसमें मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल था। आधार या किसी अन्य विशिष्ट आईडी द्वारा लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की गई थी। ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते समय डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार नहीं किया गया। लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक सूचना के रूप में प्रतिक्रिया देने का तंत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-कल्याण को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत न करने के कारण में पावती पुश उपलब्ध नहीं है जिससे लाभार्थी विवरण के साथ निधि अंतरण आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न नहीं होते।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

लाभार्थियों की पुनरावृत्ति की पहचान हेतु आधार अधिसूचित नहीं किया गया। कई मामलों में आधार संख्या का बार-बार उपयोग किया गया एवं डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज/सीड नहीं करने के बड़ी संख्या में मामले पाए गए। क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आधार संख्या हेतु स्वतंत्र फील्ड की उपलब्धता के बावजूद; फील्ड को पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने के लिए सक्षम नहीं किया गया। नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने व आवेदन-प्रक्रिया में विलम्ब के

उदाहरण देखे गए। व्यक्तिगत लेजर खाते (पीएलए) का दो बार आवंटन यह दर्शाता है कि आवेदनों को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया एवं सत्यापन जांच का अभाव था। ई-कल्याण में पंचायत के अभिलेखों के साथ पेंशनभोगियों के अभिलेखों के पुनः सत्यापन से लाभार्थियों की आयु में भिन्नता, न्यूनायु लाभार्थियों के चयन, मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा के नीचे न आने वाले पेंशनभोगियों के चयन एवं अपात्र लाभार्थियों को लाभ देने के मामले उजागर हुए। एक ही खाता संख्या के माध्यम से कई लाभार्थियों को लाभ अंतरित किए गए। विभाग ने मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि हेतु विशेष सत्यापन टीम गठित नहीं की। पेंशन संवितरण स्वीकृति, प्राधिकारी की पेंशन स्वीकृति से पहले ले ली गई। जांचाधीन मामलों के सत्यापन तथा पात्र लाभार्थियों को लाभ वापस करने में विलम्ब हुआ। आय मानदंड को पूरा नहीं करने वाले, न्यूनायु एवं अन्य अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। पेंशन भुगतान में मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग एवं बचत डक/बैंक खातों में पेंशन जमा करने के विभागीय निर्देशों के बावजूद डक विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को घर पर लाभ वितरण न करना जैसी कमियां पाई गईं। 80 वर्ष से अधिक आयु एवं गंभीर रूप से विकलांग पेंशनभोगियों के सर्वेक्षण में काफी पेंशनभोगियों ने घर पर पेंशन नहीं मिलने की सूचना दी।

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन का विश्लेषण

विभागीय प्राधिकारियों एवं उपयोगकर्ताओं द्वारा ई-कल्याण साफ्टवेयर के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु विभिन्न सिस्टम एवं उपयोगकर्ता नियमपुस्तिकाएं तैयार नहीं की गई थीं। ई-कल्याण साफ्टवेयर के डेटा डंप के विश्लेषण से विभिन्न स्तरों पर कई उपयोगकर्ता लॉगिन के निर्माण, लाभार्थियों के अपूर्ण क्रेडेंशियल्स की प्रविष्टि एवं विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही पीसी/आईपी एड्रेस से विभिन्न उपयोगकर्ता लॉगिन का उपयोग करने सहित कई कमियां प्रदर्शित हुईं। डेटा प्रविष्टि के समय आवेदकों की पुनरावृत्ति प्रविष्टि की जांच/पता लगाने की कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी। वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर को दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था एवं क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण में अंतर्निहित अनियमितताएं जारी रही। विभिन्न सूचनाएं उत्पन्न करने के विषय में, साफ्टवेयर का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्षमता प्रदान नहीं की थी। साफ्टवेयर में लाभार्थियों को अभिगम्यता एवं प्रतिक्रिया लूप का अभाव था।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संरचना एवं प्रबंधन

डीबीटी प्रकोष्ठ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न योजनाओं में डीबीटी लागू करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था। विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी अपनाने हेतु विभिन्न विभागों के मार्गदर्शन एवं निगरानी के लिए सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की गईं। डीबीटी प्रकोष्ठ ने राज्य के अधिकारियों को डीबीटी पर क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण व सहायता प्रदान नहीं की। विभाग के पास ई-कल्याण साफ्टवेयर हेतु कोई आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसाय निरंतरता योजना नहीं थी तथा वास्तविक समय एमआईएस पोर्टल का अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया। विभाग द्वारा आपूरित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ अंतरण एवं राज्य डीबीटी पोर्टल पर परिलक्षित डेटा में भिन्नता थी। पीएफएमएस को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में छः साल से अधिक के विलम्ब के पश्चात् शुरू किया गया एवं इसमें आधार सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजनाओं हेतु पीएफएमएस अभी तक शुरू नहीं किया गया। ई-कल्याण साफ्टवेयर से निकाली गई लाभार्थियों की सूची का फ्रॉन्ट पीएफएमएस पोर्टल में मान्य न होने से ई-कल्याण से पीएफएमएस तक

फाइलों का स्वतः पुश (आगे बढ़ाना) उपलब्ध नहीं था। अस्पष्ट तर्क के प्रयोग द्वारा लाभार्थियों के नाम में अंतर को चिह्नित करने के अभाव में लाभार्थी का सत्यापन मैनुअल रूप से किया गया। पीएफएमएस से ई-कल्याण में लेनदेन की पावती पुश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। असफल लेनदेन हेतु ई-कल्याण में मैनुअल रूप से कारण दर्ज किए जाते हैं। असफल लेनदेन ई-कल्याण में मैनुअल रूप से दर्ज किए जाते हैं। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से एनएसएपी पोर्टल के साथ पीएफएमएस एकीकृत नहीं होने के कारण एनएसएपी पोर्टल राज्य में डीबीटी के माध्यम से शून्य लेनदेन प्रदर्शित कर रहा है। विभाग द्वारा लागू की गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें लाभार्थियों को सीधे लाभ अंतरण शामिल होना चाहिए। प्रक्रिया को लाभ अंतरण कहा जा सकता है, परन्तु "प्रत्यक्ष" लाभ अंतरण नहीं क्योंकि निधियां लाभार्थियों को सीधे अंतरित नहीं की जाती, अपितु निधियां जिला कल्याण अधिकारियों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती हैं तथा उसके बाद लाभार्थी बैंक खातों में आगामी अंतरण हेतु चेक जारी किए जाते हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण

प्रत्येक संवर्ग में जनशक्ति की कमी थी जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के निर्विघ्न संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। विभागीय अधिकारियों को ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं कार्य-क्षमता के संबंध में प्रशिक्षण नहीं दिया गया। शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया। विभाग में प्रभावी निगरानी का अभाव है जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में पेंशन स्वीकृति में विलम्ब, पेंशन की स्वीकृति/भुगतान की पुनरावृत्ति, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति, पेंशन संवितरण का सत्यापन न होना, पुनरावृत्ति पहचान संख्या (आईडी नंबर) का आवंटन इत्यादि कमियां पाई गईं।

शिमला
दिनांक: 04 जुलाई 2022

ऋतु किल्लो

(ऋतु ढिल्लो)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 08 जुलाई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

